बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.........................

संख्या–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–43/2025.....7188/ दिनांक–16.08.2025 को छापेमारी के दौरान बलथरी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक 221648 अभिषेक कुमार की मृत्यु से संबंधित मामले में अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समूचित नियंत्रण नहीं रख पाने एवं प्रभारी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने, बलथरी चेकपोस्ट पर अभियोजन पंजी समूचित रूप से संधारित नहीं रहने तथा कम बल के साथ छापेमारी किये जाने से घटित दुर्घटना के कारण विभागीय पत्रांक–4823 दि0–20.08.2025 द्वारा श्री अमृतेश कुमार अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक–3480 दि0–26.08.2025 द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त घटना की सूचना उनके द्वारा विशम्भरपुर थानाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर–1 एवं जिला समादेष्ठा गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज को दी गयी, साथ ही उनके द्वारा अपने दल के साथ सदर अस्पताल, गोपालगंज पहुंचकर अग्रेतर तथा निरीक्षक मद्यनिषेध, बलथरी चेकपोस्ट के द्वारा विशम्भरपुर थाना कांड सं0–178/2025 दि0–16.08.2025 दर्ज करायी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि बलथरी चेकपोस्ट से दूर उक्त छापेमारी के संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में बलथरी चेकपोस्ट पर औचक निरीक्षण/भ्रमण के क्रम में बार–बार मौखिक रूप से भी यह निदेश दिया जाता रहा है कि अवैध शराब के परिवहन एवं चौर्य व्यापार से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर उनको अचूक रूप से सूचित किया जाय साथ ही निरीक्षण/भ्रमण के क्रम में बलथरी चेकपोस्ट पर अवैध शराब तस्करी एवं परिवहन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पूरी सक्रियता से विभागीय निदेशानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरा के सामने सघन वाहन जॉच करने, आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने तथा अभियोजन पंजी, वाहन जॉच पंजी, अन्य पंजी का संधारण करने एवं दिये गये निदेश के अनुसार सभी संसाधनों का समुचित उपयोग कर मद्यनिषेध के सफल कार्यान्वयन हेतु सघन वाहन जॉच, अवैध शराब के परिवहन के विरूद्ध आसूचना संग्रहण करने हेतु निदेशित किया जाता रहा है। उनके द्वारा यह भी उल्लेखित है कि उनके द्वारा निरीक्षण/भ्रमण के क्रम में संबंधित पाली के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ स्वयं उपस्थित रहकर बड़ी वाहनों की जॉच स्कैनर के माध्यम से तथा अन्य संदिग्ध वाहनों की बॉडी को उपर से खोलकर जॉच किया जाता रहा है और सभी को विभागीय निदेश के अनुरूप वाहनों का सही ढंग से जॉच करने हेतु निदेशित किया जाता रहा है। दिनांक–12.08.2025 को विभागीय बैठक में बलथरी चेकपोस्ट के कार्यकलाप से असंतोष व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके कार्यालय के ज्ञापांक–3328/म0नि0 दि0–13.08.2025 के द्वारा निरीक्षक मद्यनिषेध, बलथरी चेकपोस्ट से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा उक्त के आलोक में पत्रांक–3462/म0नि0 दि0–23.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण से संबंधित प्रतिवेदन आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को भेजी गयी है। उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि दिनांक–30.07.2025 एवं 10.08.2025 को उनके द्वारा भागीपट्टी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया।

दिनांक–18.07.2025 को उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल उनके द्वारा बलथरी चेकपोस्ट का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वे भी साथ में उपस्थित रहें तथा वाहन जॉच पंजी एवं अन्य पंजी का संधारण अद्यतन पाया गया। साथ ही दि0–02.08.2025, 05.08.2025, 07.08.2025 एवं 10.08.2025 एवं 11.08.2025 तक बलथरी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें भी वाहन जॉच पंजी, अभियोग पंजी एवं अन्य पंजी उस दिन तक अद्यतन पायी गई थीं। उनका कहना है कि विभागीय निदेशानुसार उनके नेतृत्व में इस जिलान्तर्गत उत्पाद विभाग, गोपालगंज के द्वारा मद्यनिषेध के सफल कार्यान्वयन में विगत माह–जुलाई 2025 की अपेक्षा माह–अगस्त 2025 में छापामारी, अभियोग, जप्ती एवं गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि भविष्य में सभी उत्पाद चेकपोस्ट के हर एक गतिविधि पर नजर रखते हुए वाहन जॉच पंजी एवं अभियोजन पंजी समुचित रूप से संधारित करने के साथ–साथ अवैध शराब तस्करी एवं भण्डारण को लेकर विशेष सक्रियता बरतने एवं आसूचना संग्रहण कर छापामारी/जॉच करने हेतु विशेष कार्रवाई की जाएगी तथा समय–समय पर नियमित रूप से चेकपोस्टों पर प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जाएगा। उक्त आलोक में अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा स्पष्टीकरण से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

3. श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि इस घटना के संबंध में उपायुक्त ई0आई0बी0 की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जॉच दल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अधीक्षक, मद्यनिषेध, गोपालगंज का अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव है। स्पष्टतः उनके द्वारा समूचित रूप से मद्यनिषेध का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया जाता है जिसके कारण गोपालगंज़ जिले में इस तरह की घटना घटित हुई है। विभागीय बैठक में अधीक्षक मद्यनिषेध को औचक निरीक्षक करने हेतु निदेशित करने के बावजूद अभियोग पंजी संधारित नहीं पाया जाना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। कम बल से चेकपोस्ट पर जॉच करने के कारण जिले में दो बड़ी घटनाएं घटित हुई है, जो अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज की कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के समीक्षोपरांत यह भी पाया गया है कि विभागीय स्तर पर आहुत की गयी विभिन्न बैठकों में निदेश दिया गया था कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वाहनों की सघन जॉच एवं जब्ती में वृद्धि के साथ कार्यकलाप में सुधार लाया जाय एवं चेकपोस्ट पर चौबीसो घंटे सभी दिन वाहन जॉच अभियान चलाने एवं उपलब्ध संसाधनों ड्रोन/स्नीफर डॉग/हैन्ड हेल्ड स्कैनर आदि का समुचित उपयोग किया जाय। साथ ही सभी अधीक्षक/सहायक आयुक्त को लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निदेश दिया गया है। दिनांक–12.08.2025 को आहुत विभागीय बैठक में भी बलथरी चेकपोस्ट के कार्यकलाप से असंतोष व्यक्त करते हुए उनसे प्रतिवेदन की मांग की गयी थी तथा दिनांक–29.07.2025 को आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में आहुत बैठक में अधीक्षक गोपालगंज को अवैध शराब तस्करी एवं भण्डारण को लेकर विशेष सकियता बरतने एवं आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। लगातार विभागीय निदेशों के उपरांत भी गोपालगंज जिला में लगातार अप्रिय घटनाएँ घटित हुई है, जो अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाना तथा उनके द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया जाना दर्शाता है।

(16) (12)

5. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरान्त श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए गृहरक्षक की छापेमारी के दौरान मृत्यु होने संबंधी मामले में अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने, बलथरी चेकपोस्ट पर अभियोजन पंजी समुचित रूप से संधारित नहीं रहने, विभागीय बैठकों में दिये गये निदेशो का समुचित रूप से अनुपालन नहीं करने तथा कम बल के साथ छापामारी किये जाने से घटित हुई दुर्घटना के लिये उन्हे जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में 03 (तीन) वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–43/2025................/ पटना, दिनांक–.....................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–43/2025................/ पटना, दिनांक–.....................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–43/2025................/7188 पटना, दिनांक–18.12.25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी,गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त, मद्यनिषेध/उपायुक्त मद्यनिषेध,सारण प्रमंडल छपरा/श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/25

सरकार के संयुक्त सचिव,